

~~पञ्जावली वास्ते कथल हेतु दिनांक~~

~~29-04-2021 को पेश हो~~

~~सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा~~

29/4/21

~~पञ्जावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
प्रयास करने के बाद भी पेश करने से पञ्जावली
दिनांक कोडोरा को पेश हो।
मम~~

29.5.21

~~बाडी के चकील उपस्थित।~~

~~पेरोकार कारकार उपस्थित।~~

~~नहलीलदार पंचपदरा के द्वारा~~

~~माननीय न्यायालय वाजस्य मजलस~~

~~के द्वारा पारित निर्णय दिनांक~~

~~19.01.2017 अतमान की सरकार~~

~~1/5 मीर खा में अधिनस्थ न्यायालयों~~

~~के द्वारा प्राप्ति निर्णय के~~

~~निरस्त किया गया है तथा~~

~~पुनः उपस्थित कर काइमेर मिलने में~~

~~उपस्थित जरीम के हिसाब से~~



~~सहायक कलेक्टर
(S.B.O.) बालोतरा~~



तारीख हुकम

~~नियम 20 के उपधानों को प्रमान~~
~~में रखते हुए किती बकि उपधानों~~
~~को नियमन की जा सकती है,~~
~~इसकी जांच करवाकर विधि समुदाय~~
~~निराल पारित करने के निर्देश~~
~~उमान किये गये है। ऐसी रिपोर्ट~~
~~में माननीय न्यायालय राजसम मंडल~~
~~राज. अजमेर के द्वारा अपील संख्या~~
~~डिडी / 178 / 14/19/2010 बाबलान राजसम~~
~~त्रिनिधि अविधाक हकीम दाद,~~
~~पंचपदरा कनाम मीर का में~~
~~पारित निराल दि 19.01.2017 के~~
~~पालना में वारी का उपकल को~~
~~नियमन कमेटी के समक प्रस्तुत~~
~~करने के लिए वारी को~~
~~नियमन की परधानी मल शपथ-~~
~~पर जेलाट कर नियमन कमेटी~~
~~के समक प्रस्तुत करने के लिए~~
~~निर्देश करने का निर्देशन किया गया है।~~



सहायक कमिश्नर
 (B.D.O.) बालोतरा


संख्या
दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

~~वादी के वकील ने प्रार्थना-पत्र~~
~~01 R 10 CPC काब्रकां को याद~~
~~में परकार बनाने व वादी मीरकां~~
~~का नाम हराने हेतु दिनांक 15.4.21~~
~~को फेरा किया गया है। प्रिंटे~~
~~वाकगएर आराजी के सम्बन्ध में~~
~~बड़मेर जिले में प्रचलित जरीब~~
~~के विषय के नियम 20 के प्रवधानों~~
~~के अधिन में रखते हुए वादी~~
~~को कितनी कृमि निपामन के~~
~~जा सकती है, इस किन्तु पर~~
~~निर्णय किया जाना है, ऐसी-~~
~~विशक्ति वादी को मौर से प्रस्तुत~~
~~प्रार्थना-पत्र 01 R 10 CPC का कोई~~
~~औचित्य नहीं है, लिहाजा प्रार्थी~~
~~काब्रकां के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-~~
~~पत्र को अस्वीकार कर कारिन किया~~




 सहायक कलेक्टर
 (D.O.) बड़मेर

जाता है।
 वादी के विद्वान ~~हकिम~~
 एवं ~~रहसीलदार पचमदरा~~ के बदले
 कुनी गई, दोनों पर माननीय
 न्यायालय राजस्थान मण्डल के द्वारा
 पारित निर्णय डिमी के अनुसार
 वादी का उक्त निर्णय कमेटी
 के समक्ष निस्तार कराने के
 लिए सहमत है।


पशावली का हमने अपलोड
 किया गया, वाद अपलोड न
 समुची डिमी पर विवेचन करने
 के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर
 पहुंचे हैं कि वादग्रस्त आराजी
 के सम्बन्ध में मुक्ति निर्णय
 को पशावली वादी को और से



स. *[Signature]*
 (S.D.O.) बीकानेर

तैयार कर अरुमि निपामन कमेटी
 के स्तर से निस्तराज किया
 जाना ही न्यायोचित उचित होगा
 है, लिहाजा वादी के वाद को
 आंशिक रूप से स्वीकार कर वादी
 को निर्देशित किया जाता है
 कि वादग्रस्त आराजी के संबंध
 में निपामन को पर्यावली तैयार
 करवाकर मय शपथ-पत्र के
 स्तर में निपामन कमेटी के
 स्तर से बाइफेर जिले में -
 उपलब्ध जरीब के हिसाब से
 निपामन 20 के प्रावधानों को
 ध्यान में रखते हुए कितनी
 अरुमि वादी को निपामन की
 जा सकती है, इसकी खाद
 जंच निपामन कमेटी के स्तर से




 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोठरा

मौजा जसोल के खसरा नम्बर
1006/4 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा


वादाग्र आराजी का नूनिगिण

वादी को पाया के अनुकार

फिरा जाना विधि सम्मत एवं विधि

के अनुक्रम होगा / डिडी पर्य


जारी हो।


(नरेन्द्र सोनी)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा



दिनांक आज दिनांक 28-05-2021

को खुले न्यायालय में सुनाया
गया।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा